राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय संख्या–9

उपस्थितः माननीय श्री योगेश्वर राम मिश्र, सदस्य (प्रशा0)।
माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्या0)।

पुनर्विचार याचिका संख्या–03/2026
याचिका संख्याः 302/2019

पंकज कुदेसिया, आयु लगभग 51 वर्ष पुत्र श्री सुरेश चन्द्र सक्सेना, निवासी–म0सं0–292/351, बिहारीपुर कहरवां, तहसील एवं जिला बरेली।

..... याची।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, नागरिक सुरक्षा विभाग, उ0प्र0 सरकार, सिविल सचिवालय, लखनऊ।

2. उ0प्र0 नागरिक सुरक्षा निदेशालय, 528, 5वॉ तल, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निदेशालय।

3. पुलिस महानिदेशक/निदेशक, नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, 528, 5वॉ तल, जवाहर भवन, लखनऊ।

4. संयुक्त निदेशक, उ0प्र0 नागरिक सुरक्षा निदेशालय, 528, 5वॉ तल, जवाहर भवन, लखनऊ।

5. जिलाधिकारी/नियंत्रक, जनपद–बरेली (उ0प्र0)।

..... विपक्षीगण।

श्री आर0के0 यादव याची के विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षीगण की ओर से श्री पंकज सिंह, विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय

माननीय श्री योगेश्वर राम मिश्र, सदस्य (प्रशा0) द्वारा श्रुतलेखित

याची की ओर से यह पुर्नविचार याचिका उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1992 की धारा–17 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. याची की ओर से प्रस्तुत पुनर्विचार याचिका मूल निर्देश याचिका संख्या–302/2019 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2026 के संदर्भ में योजित की गयी है जिसके द्वारा याची ने अपनी पुनर्विचार याचिका में मूल आदेश के प्रस्तर–12 के संदर्भ में अपने अनुरोध को उल्लिखित किया गया है तथा यह

उल्लेख किया है कि आदेश दिनांक 13.12.2018 शासन के सक्षम स्तर के प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है अतः उसमें जो संशोधन आलोच्य आदेश दिनांक 29.12.2016 द्वारा किया गया है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, इसके संदर्भ में पुनर्विचारकर्ता ने यह मत उल्लिखित किया है कि दिनांक 29.12. 2016 के आदेश में विधिक त्रुटि न होने के कारण उसे स्वीकार किया जाना चाहिये था, जबकि याचिका को बलहीन पाते हुए निरस्त कर दिया गया है। इस आधार पर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

3. विपक्षीगण की ओर से पुनर्विचार याचिका के विरूद्व आपत्ति प्रकट करते हुए यह कहा गया है कि पुनर्विचार याचिका में विपक्षीगण द्वारा आपत्ति दे दी गयी थी किन्तु पुनर्विचार याचिका का प्रस्तरवार उत्तर भी आपत्ति के साथ लगाया गया है जिसमें मुख्य रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील सं0 10779–10780 2013, एस भागीरथी अम्मल बनाम पलानी रोमन कैथोलिक मिशन (2009) 10 एस0सी0सी0 464** में यह उल्लेख किया है कि पुनर्विचार याचिका पर विचार का क्षेत्र अत्यन्त सीमित होता है। इसी प्रकार विपक्षीगण ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **एस भागीरथी अम्मल बनाम पलानी रोमन कैथोलिक मिशन (2009) 10 एस0सी0सी0 464** में दी विधि व्यवस्था का उल्लेख किया है जिमसें त्रुटि को बहुत स्पष्ट होने की स्थिति में ही पुनर्विचार का औचित्य बनता है।

विपक्षीगण ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मीरा भॉजा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी (1995) 2 एस0सी0सी0 170** के वाद में पुनर्विचार याचिका के क्षेत्राधिकार पर दी गयी विधि व्यवस्था का उल्लेख किया गया जो निम्नवत् हैः–

> **"…… the review jurisdiction is extremely limited and unless there is mistake apparent on the face of the record the order/judgment does not call for review. The mistake apparent on the face of the record means that the mistake is self evident, needs no search and stares at its face. Surely the review jurisdiction is not an appeal in disguise. The review does not permit rehearing of the matter on merits."**

इसी संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पार्सन देवी व अन्य बनाम सुमित्री देवी व अन्य (1997) 8 एस.सी.सी. 715** में पुनर्विलोकन संबधी क्षेत्राधिकार के संबध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्नवत् हैः–

> **"Mistake or "error apparent on the face of record" is one which is self-Evident and does not requires a process of reasoning. It is distinct from "erroneous decision." So rehearing the matter for detecting an error in the earliar decision and then correcting the same do not fall within the ambit of review**

jurisdiction. Review Jusirdiction cannot be used as appellate jurisdiction."

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि पुनर्विचार का क्षेत्र अत्यन्त सीमित होता है। पुनर्विचार याचिका नियम–17 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। पुनर्विचार के लिए आर्डर 47 सी.पी.सी. रूल–1 में निम्न आधार रखे गये हैः–

(i) Discovery of new and important matter or evidence; or

(ii) Mistake or error apparent on the face of the record; of

(iii) Any other sufficient reason.

13. उपरोक्त सम्पूर्ण निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि यह निर्णय गुण–दोष के आधार पर एवं उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत समस्त तर्कों का विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अतः याची के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उपरोक्त निर्णय में प्रथम दृष्टया देखने से क्या त्रुटि है तथा निर्णय पारित होने के बाद उसे कौन से महत्वपूर्ण नवीन तथ्य अथवा साक्ष्य की जानकारी हुई है जिसके कारण पारित निर्णय का पुर्नविलोकन करते हुए पुनः सुनवाई की जाये। याची के द्वारा अपनी याचिका में किसी नवीन तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। याची ने जिस आधार पर यह पुर्नविचार याचिका दाखिल की है उन पर विचार करते हुए तथा निष्कर्ष देते हुए अधिकरण के द्वारा मूल याचिका में निर्णय पारित किया जा चुका है। अतः पुनः याची के उन्हीं तर्कों पर निष्कर्ष दिया जाना विधिक रूप से उचित नहीं है। अतः अधिकरण की राय में प्रश्नगत् निर्णय में Error apparent on the face of record नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत् निर्णय का पुर्नविलोकन किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

18. उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में अभिलेख देखने से ही प्रथम दृष्टया यदि निर्णय में कोई गलती प्रतीत होती है तो उस गलती को पुर्नविलोकन कर सुधार किया जा सकता है। लेकिन पुर्नविलोकन करते समय इस अधिकरण को अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। चूँकि निर्णय दिनांक 09.01.2026 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। प्रश्नगत निर्णय गुण–दोष के आधार पर एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया है अतः याची का यह कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि अधिकरण ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्थाओं एवं उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा याची द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के आलोक में इस अधिकरण के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.2026 के पुर्नविलोकन किये जाने का कोई विधिपूर्ण आधार प्रतीत नहीं होता है। याची की पुनर्विचार याचिका बलहीन

है। याची यदि मूल आदेश से क्षुब्ध है तो उसके लिए सक्षम स्तर पर वैधानिक उपशम प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। अतः याची की पुनर्विलोकन याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की पुर्नविचार याचिका विधि–अनुसार पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त की जाती है।

पक्षकार अपना–अपना व्यय स्वंय वहन करेगें।

ह0/–
(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्या0)।

ह0/–
(योगेश्वर राम मिश्र)
सदस्य (प्रशा0)।

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्या0)।

ह0/–
(योगेश्वर राम मिश्र)
सदस्य (प्रशा0)।

दिनाकः 19 अगस्त, 2026
एम0ए0/पी0एस0